रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 1972/ज्येष्ठ 3, 1894
No. 148] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 1972/JYAISTHA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION
CUSTOMS

New Delhi, the 24th May 1972

G.S.R. 284(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts beta-naphthol, when imported into India, for use in any dyeing process, from the payment of so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as is in excess of the duty leviable on item No. 30(1)(c) of the said First Schedule:

Provided that the importer shall, by the execution of a bond in such form and in such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, bind himself to pay, on demand in respect of such quantity of beta-naphthol as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No. 71/F. No. 355/27/72-Cus.I.]

D. KRISHNAMURTI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 24 मई, 1972

सा०का०नि० 284 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, बीटा-नेफ्थाल को, किसी रंगने की प्रक्रिया में प्रयोग के लिए, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के, जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने भाग के संदाय से एतद्द्वारा छूट देती है, जितना उक्त प्रथम अनुसूची की मद संख्या 30 (1) (ग) पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक हो :

परन्तु आयातकर्ता, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विहित की जाए, बन्धपत्र का निष्पादन करके, बीटा-नेफ्थाल की ऐसी मात्रा की बाबत जिसके सम्बन्ध में सहायक सीमा शुल्क कलक्टर का यह समाधान न हुआ हो कि उसका प्रयोग पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए किया गया है, उतनी रकम का, मांग पर संदाय करने के लिए अपने को आबद्ध करेगा जितनी, यदि इसमें अन्तर्विष्ट छूट न दी गई होती तो ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात करने के समय पहले ही संदत्त कर दिए गए शुल्क के बीच के अन्तर के बराबर है।

[सं० 71/फा० सं० 355/27/72—सी० शु० 1]

डी० कृष्णमूर्ति, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972